



ਲਖਨਾਅ ਵਿਸ਼ਵਿਦਾਲਾਇ, ਲਖਨਾਅ

ਲਖਨਾਅ—226007

ਸੰਖਾ: ਲਵਿਵਿ / ਪਨਿਕਾ / 15—..
ਦਿਨਾਂਕ :

ਵਾਰ਷ਿਕ ਪਰੀਕਸ਼ਾ—2015 ਹੇਤੁ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯਮ

ਵਰ્਷ 2015 ਮੋਹਾਂ ਮੌਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤ ਵਰ੍਷ ਕੀ ਭੱਤਿ ਵਿਸ਼ਵਿਦਾਲਾਇ ਨੇ ਕੇਨ੍ਦਰੀ ਮੂਲਧਾਰਾ ਉਤਤਰ—ਪੁਸ਼ਟਿਕਾਓਂ ਕਾ ਮੂਲਧਾਰਾ ਕਰਾਨੇ ਕਾ ਨਿਰਣਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਥੋਂ ਮੌਕਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਕਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਿਯਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾਫਲ ਸਮਾਂ ਦੇ ਤੁਟਿਵਿਹੀਨ ਰੂਪ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨੋਟ— ਵਾਰ਷ਿਕ ਪਰੀਕਸ਼ਾ 2015 ਕੇ ਸਹੀ ਕਕਾਓਂ ਕੇ ਪਰੀਕਸ਼ਾਰਥੀਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਆਂਦੋਨਾਂ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੁਕਤ ਉਤਤਰ—ਪੁਸ਼ਟਿਕਾਓਂ ਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।

(ਕ) ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ / ਸਹਾਯਕ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ / ਕਕਾ—ਪਰਿਵੇਕਾਰੀ / ਆਨੱਤਰਿਕ ਉਡਾਕਾ ਦਲ :

1. ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਕੇਨ੍ਦਰ ਪਰ ਏਕ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਂਗੇ, ਜੋ ਪੂਰ੍ਣਤ: ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਕੇ ਗੋਪਨੀਯ ਅਭਿਲੋਖਾਂ ਕੋ ਸੁਰਕਿਤ ਰਖਨੇ ਏਵਾਂ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਕੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇ ਲਿਯੇ ਉਤਤਰਦਾਈ ਹੋਂਗੇ।
2. ਸਹਾਯਕ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪੱਜੀਕ੃ਤ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਕੀ ਸੰਖਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਨਿਮਨਵਾਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਂਗੇ—
 - (I) 250 ਪੱਜੀਕ੃ਤ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਪਰ ਇੱਕ
 - (II) 251—500 ਤਕ ਪੱਜੀਕ੃ਤ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਪਰ ਦੋ
 - (III) 501—750 ਤਕ ਪੱਜੀਕ੃ਤ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਪਰ ਤੀਨ
 - (IV) 751—1500 ਤਕ ਪੱਜੀਕ੃ਤ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਪਰ ਚਾਰ
 - (V) 1501 ਦੇ ਅਧਿਕ ਪੱਜੀਕ੃ਤ ਪਰ 5 ਤਥਾ ਇਸਦੇ ਉਪਰਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸੰਖਾ ਤਕ ਏਕ ਅਤਿਰਿਕ ਸਹਾਯਕ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਂਗੇ।
3. ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਕਾ ਮੈਂ ਕਮ ਦੇ ਕਮ ਦੋ ਕਕਾ ਪਰਿਵੇਕਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਂਗੇ। ਸਾਥ ਹੀ ਯਹ ਭੀ ਧਾਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਕਾਰੀ ਮੈਂ ਬਡੇ ਕਮਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ, ਜਿਸਦੇ ਕਮ ਦੇ ਕਮ ਪਰਿਵੇਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਕਤਾ ਪਡੇ ਔਰਾ ਯਹ ਭੀ ਧਾਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕਕਾ ਪਰਿਵੇਕਾਰੀਆਂ ਏਵਾਂ ਕੁਲ ਪਰੀਕਸ਼ਾਰਥੀਓਂ ਦੀ ਸੰਖਾ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਅਤੇ 20 ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਚਲ ਦਲ ਯਾ ਗੇਟ ਡਾਕਾਈ ਦੀ ਲਿਏ ਸਿਖਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਕਾ ਪਰਿਵੇਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਖਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਾ ਯਹ ਕਾਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਬੀਚ ਕੋਈ ਭੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾਰਥੀ ਪੁਸ਼ਟਕ, ਨੋਟਸ, ਮੋਬਾਇਲ, ਪੇਜ਼ਰ ਅਥਵਾ ਕਿਸੀ ਭੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵੈਧ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਲੇਕਰ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਕਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨ ਕਰਨੇ ਪਾਏ। ਪਰੀਕਸ਼ਾਰਥੀ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਮੈਂ (ਪ੍ਰਸ਼ਨਪੱਤਰ ਮੁਦ੍ਰਣ ਦੀ ਤੁਟਿ ਦੇ ਸਮੱਝਿਤ ਕਿਵੇਂ ਨ ਹੋ) ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਕਕਾ ਮੈਂ ਨ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਹੇਤੁ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਦਰ ਦੇ ਪਾਰਿਵਰਤਿਕ ਦੇ ਮੁਗਤਾਨ ਦਾਸ਼ਨਾਦੇਸ਼ ਸੰਖਾ 306 / ਉਤਤਰ—1—2011—15 (32) 181 ਦਿਨਾਂਕ 29 ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(I) ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ	ਰੂ0 105—00 ਪ੍ਰਤੀ ਸਤ੍ਰ
(II) ਸਹਾਯਕ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ	ਰੂ0 100—00 ਪ੍ਰਤੀ ਸਤ੍ਰ
(III) ਕਕਾ ਪਰਿਵੇਕਾਰੀ (ਆਨੱਤਰਿਕ ਉਡਾਕਾ ਦਲ, ਗੇਟ ਡਾਕਾਈ)	ਰੂ0 90—00 ਪ੍ਰਤੀ ਸਤ੍ਰ
6. ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਵੇਂ ਕੁਪਹਾ ਉਤਤਰ—ਪੁਸ਼ਟਿਕਾਓਂ / ਪ੍ਰਸ਼ਨਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਖ—ਰਖਾਵ ਹੇਤੁ ਏਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰਖੋ। ਯਹ ਜਿਸਦੀ ਵਿਵਰਾਵਾਂ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਯਕ ਕੇਨ੍ਦਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਖਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ੍ਹੋਂ ਲਿਖਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਂ ਉਤਤਰਪੁਸ਼ਟਿਕਾਓਂ / ਪ੍ਰਸ਼ਨਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਵਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਕੇਨ੍ਦਰ ਵਿਵਰ ਦੀ ਰਖ—ਰਖਾਵ ਏਕ ਪ੃ਥਕ ਰਜਿਸਟਰ / ਪ੍ਰਸ਼ਨਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ ਭੀ ਸਮਾਂ—ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ ਦੀ ਸੰਖਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7. इस वर्ष भी वर्षों की भौति विश्वविद्यालय ने परीक्षकों से केन्द्रीय पद्धति से मूल्यांकन कराने की योजना निर्धारित की है। इसलिए उत्तरपुस्तिका समय से भेजने में केन्द्राध्यक्षों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कक्ष निरीक्षण कार्य केन्द्रीय मूल्यांकन के कारण यथासम्भव प्रभावित न हो। प्रत्येक परीक्षक को अधिक से अधिक प्राध्यापकों के सहयोग की अपेक्षा है।
8. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में महाविद्यालय के प्रबन्धक/अध्यक्ष केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहेंगे। उनकी उपस्थित प्रमाणित होने पर केन्द्र को संदिग्ध श्रेणी में अंकित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
9. कृपया वर्ष 2015 निर्देश—नियम से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दें, जो आपको परीक्षा संचालन में सहायता कर रहे हैं। यदि ऐसी अवस्था आ जाय, जिससे नियम स्पष्ट न हो तो दूरभाष पर वार्ता करके तदनुसार कार्यवाही करें।

(ख) विशेष परीक्षार्थी/विशेष सुविधा

10. किसी भी ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दें, जिसे अनुक्रमांक आवंटित न हुआ हो तथा जिसका जॉच पत्र आपके पास न भेजा गया हो। यदि न्यायालय के आदेश से कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उस छात्र की उत्तरपुस्तिका को पूर्ण विवरण तथा एक प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा नियंत्रक को पृथक से भेजें। किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा जेल अथवा चिकित्सालय में नहीं कराई जा सकती है। जब तक ऐसा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं निर्गत किए गए हो।
11. दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का समय तीन घन्टे के स्थान पर साढ़े तीन घन्टे कर दिया गया है। ऐसे परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका अन्य परीक्षार्थियों के साथ ही भेजी जाय।
12. किसी भी परीक्षार्थी को श्रुति लेखक या इस तरह की कोई विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है। जबतक कि कुलपति महोदय/परीक्षा नियंत्रक की पूर्व अनुमति उसके सम्बन्ध में न हो। श्रुति लेखक की स्वीकृति होने पर ही इसकी व्यवस्था की जाय।

(ग) परीक्षा भवन/कक्ष/आसन व्यवस्था

13. परीक्षार्थियों के सीट (आसन) की व्यवस्था ऐसी करावें, जिससे उन्हें अनुचित साधन प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हो सके। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करें—
 - i. यदि सम्भव हो तो एक विषय के परीक्षार्थी के आगे तथा पीछे तथा बगल में उस विषय के परीक्षार्थी की सीट न रहे।
 - ii. कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट पर परीक्षार्थी के अनुक्रमांक आदि का विवरण, पानी पिलाने आदि की समुचित व्यवस्था केन्द्र पर होनी चाहिए। स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता, कमरे की सफाई और प्रकाश आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
 - iii. परीक्षा भवन के निकट पर्याप्त मात्रा में अस्थायी यूरीनल बनवाने का कष्ट करें। परीक्षार्थियों के बैठने, पानी पिलाने आदि की समुचित व्यवस्था केन्द्र पर होनी चाहिए। स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता, कमरे की सफाई और प्रकाश आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(घ) प्रश्नपत्र पैकेट का रख—रखाव

14. (क) परीक्षा के प्रश्नपत्र विशेष वाहक द्वारा भेजे जायेंगे। सम्पूर्ण परीक्षाकाल में केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र पर कोई न कोई अधिकृत व्यक्ति अनवरत रूप से अवश्य उपस्थित रहे। आपसे अनुरोध है कि प्रश्नपत्रों के लिफाफे की जॉच सतर्कतापूर्वक कर लें और यदि किसी लिफाफे की सील टूटी हुई हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का सन्देह लिफाफे के सम्बन्ध में आपको हो तो तत्काल उसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को दें तथा उस लिफाफे अथवा लिफाफों को दूसरे लिफाफे में रखकर अपनी सील लगा दें। अभ्यर्थियों के जॉच—पत्र से प्रश्नपत्रों की संख्या का मिलान कर लें, यदि किसी प्रश्नपत्र की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसकी मांग तुरन्त करने का कष्ट करें। प्रश्नपत्रों के पैकेटों को विशेष सावधानी के साथ बन्द एवं सुरक्षित अलमारी में रखा जाय, जिसकी चाभी केन्द्राध्यक्ष के पास रहे।

(ख) यदि किसी केन्द्र पर परीक्षा सामग्री लेकर विश्वविद्यालय वाहन के पहुँचने पर कोई अधिकृत व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं रहता है और प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो सम्बन्धित महाविद्यालय को पुनः वाहन भेजने पर, उसका समस्त व्यय वहन करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केन्द्र बदला भी जा सकता है।

(घ) उत्तर पुस्तिका पर मुहर लगाना/वितरण

15. केवल ३००एम०आर० उत्तरपुस्तिका का ही प्रयोग करें। उत्तरपुस्तिका पर नाम का मुहर या अन्य चिन्ह न लगवायें। केवल दिनांक की मुहर लगायी जाय। केन्द्राध्यक्ष को चाहिए कि किसी उत्तर पुस्तिका पर अपने हस्ताक्षर की सील इत्यादि न लगायें।
 16. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 2015 परीक्षा की क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिदिन प्रति पाली के क्रमानुसार ही प्रत्येक कक्ष में भेजना है। उत्तर पुस्तिका का विवरण भी परीक्षार्थियों को क्रमानुसार ही करना है। यदि किसी कारण से किसी क्रमांक की उत्तर पुस्तिका को निरस्त करना पड़े तो कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त उत्तरपुस्तिका को परीक्षा नियंत्रक के पास सीलबन्द लिफाफे में भेज दिया जाय।
 17. परीक्षार्थियों के प्रयोग हेतु उत्तर पुस्तिकाएँ आपको प्रेषित की जा चुकी हैं। उत्तर-पुस्तिका जिसमें 40 पृष्ठ हैं, परीक्षार्थियों को प्रयोग के लिए दी जाय।
- (क) परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि वे उत्तर-पुस्तिकाओं में शब्द सीमा के अन्तर्गत ही प्रश्नपत्रों का उत्तर लिखें। यदि किसी पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा रफ किया जाता हो तो उसे उत्तर पुस्तिका जमा करने के पूर्व वह स्वयं काट दें, जिसका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ अथवा भाग परीक्षार्थी द्वारा फाड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई परीक्षार्थी किसी लिखे उत्तर को काटना चाहे तो वह कास (X) करके काट सकता है।**
- (च) परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों का प्रवेश/अनुचित साधन प्रयोग पर प्रभावी रोक।**
18. **(क)** परीक्षा केन्द्र का द्वार प्रथम दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे पूर्व तथा अन्य दिन पन्द्रह मिनट पूर्व खोला जाय।
 - (ख)** नकल आध्यादेश-1998 (यथा संशोधित) में निहित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाय और नकल विहीन परीक्षा कराई जाय। परीक्षाकाल में परीक्षा योग्य वातावरण बनाकर प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष हर सम्भव प्रयास कर केन्द्र पर नकलविहीन परीक्षा संचालन सुनिश्चित करें।
 - (ग)** परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पहले से ही सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी एवं उस पाली के परीक्षार्थियों के अलावा अन्य कोई छात्र या व्यक्ति केन्द्र परिसर में न रहे। इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। प्रत्येक पाली में परीक्षार्थियों की समुचित तलाशी गेट पर लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाय और परीक्षा कक्षों में कम से कम प्रथम घण्टे के अन्दर दो बार यह घोषित किया जाये कि “नकल करते हुए यदि कोई छात्र पकड़ा गया तो उसका भविश्य उज्ज्वल नहीं है, अतः नकल करने का प्रयास कदापि न करें।”
 - (घ)** परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम करना केन्द्राध्यक्षों की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में उनको ही नेतृत्व करना है। परीक्षा को नकलविहीन आयोजित कराने हेतु केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर से आन्तरिक उड़ाकादल के साथ अपने केन्द्र पर प्रत्येक पाली में कम से कम दो चक्र आवश्यक लगावें और केन्द्र को नकल विहीन बनाने में अग्रणी बनें।
 - (ङ.)** परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन में कोई लिखी चिट्ठा पुस्तकें, नोट्स, मोबाइल व कैलकुलेटर न लाने पावें। परीक्षार्थी प्रश्नपत्रों के प्राप्त होने के पूर्व अपने डेस्क भी देख लें कि उसके अन्दर कोई अवैध सामग्री न रहे। यदि कोई ऐसी सामग्री परीक्षार्थी के पास पायी जायेगी तो उसका अर्थ यह समझा जायेगा कि वह नकल कर रहा था अथवा करने का प्रयास कर रहा था। परिप्रेक्षक प्रतिदिन प्रश्नपत्रों के वितरण के पूर्व परीक्षार्थियों को इस सन्दर्भ में सतर्क कर दें।

- (च) परीक्षा जब तक चल रही हो, उस बीच कोई भी परीक्षार्थी पुस्तक, नोट्स अथवा किसी प्रकार की अवैध सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने पाये। परीक्षार्थी से किसी भी सन्दर्भ में (चाहें प्रश्न पत्र में मुद्रण की त्रुटि आदि से सम्बन्धित ही क्यों न हो) कोई वार्ता कक्ष में न की जाय।
- (छ) केन्द्र पर उड़ाकादल के पहुँचने पर उनका सहयोग किया जाय और सफल परीक्षा संचालन में उनसे सहयोग लिया जाय।

19. सामान्यतया परीक्षा शुरू हो जाने पर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में आने की अनुमति प्रदान न की जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में 30 मिनट तक विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को प्रवेश कराने का अधिकार केन्द्राध्यक्ष को है। किसी भी दशा आधा घण्टा से अधिक विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश न दिया जाय।
20. यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र परीक्षा के बीच में गायब हो जाता है। द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने महाविद्यालय के **login** कर प्राप्त किया जा सकता है।
21. विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है, परन्तु प्रत्येक दशा में कक्ष परिप्रेक्षक के साथ ही उन्हें बाहर जाने दिया जाय।
22. प्रश्नपत्र वितरण हो जाने पर किसी भी परीक्षार्थी को दो घण्टा 30 मिनट के पहले उत्तरपुस्तिका जमा कर अन्तिम रूप से परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति न दी जाय।
23. परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के नियंत्रण में रहेंगे और परीक्षार्थियों का कर्तव्य होगा कि केन्द्राध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत परिप्रेक्षकों के प्रत्येक निर्देश का पालन करें। यदि कोई परीक्षार्थी निर्देश की अवहेलना अथवा अभद्र व्यवहार करेंगा तो केन्द्राध्यक्ष को अधिकार है कि उस परीक्षार्थी को परीक्षा से बहिष्कृत कर सकते हैं। ऐसे विषयों की पूरी रिपोर्ट सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ विश्वविद्यालय को भेजना आवश्यक है, जिसके आधार पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही जो भी उचित होगी, परीक्षा समिति के निर्णयानुसार की जायेगी।
24. अगर कोई परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका को साथ लेकर भाग जाता है तो एक **एफ0आईआर0** पास के थाने में दर्ज करा दें तथा उसकी एक प्रति परीक्षा नियंत्रक को भी भेजें। परीक्षार्थी का नाम, पता, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, तिथि पाली तथा सम्बन्धित प्रश्नपत्र का विवरण “**एफ0आई0आर0**” में अवश्य लिखें। लिफाफे पर प-0 अंकित करें।
25. यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन प्रयोग/प्रयास करता हुआ पकड़ा जाय तो ऐसे परीक्षार्थी को दूसरी उत्तर पुस्तिका देकर प्रश्नों को हल करने एवं परीक्षा देने दिया जाय। उत्तर पुस्तिकाओं पर निम्नवत् मुहर लगायी जाय—

(क) अनुचित साधन प्रयोग (पहली उत्तर पुस्तिका पर)

(ख) नवीन उत्तर पुस्तिका (दूसरी उत्तर पुस्तिका पर)

तथा उसकी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ उसका वक्तव्य कक्ष निरीक्षक तथा केन्द्राध्यक्ष रिपोर्ट के साथ अवैध सामग्री जिस पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर तथा केन्द्र की मुहर लगी हो, सीलबन्द करके अलग पैकेट में भेजी जाय।

(छ) प्र नपत्र खोलना / वितरण

26. प्रश्नपत्रों के लिफाफे खोलने में अनावश्यक जल्दबाजी न करें। प्रश्नपत्र खोलने से पूर्व यह भलीभौति सुनिश्चित कर लें कि उसी दिन/सत्र में होने वाला प्रश्नपत्र ही खोला जा रहा है। यदि केन्द्र की गलती से कोई अन्य प्रश्नपत्र का पैकेट खुल जाता है और उस प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त होती है तो उसे पुनः सम्पन्न कराने में आने वाला सम्पूर्ण व्यय उस केन्द्र को वहन करना होगा।
27. प्रश्नपत्रों के लिफाफे, परीक्षा भवन के कक्ष में, कम से कम दो परिप्रेक्षकों के समक्ष खोले जायें। आप तथा साक्षी परिप्रेक्षक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर, पद के साथ, लिफाफे पर करने का कष्ट करें। आपसे अनुरोध है कि प्रश्नपत्र के विवरण के पूर्व लिफाफे के प्रश्नपत्रों की गिनती करके देख लें कि उसकी संख्या उतनी ही है, जितनी लिफाफे के ऊपर अंकित है तथा प्रश्नपत्र को पढ़कर देख लें कि यह वही प्रश्नपत्र है। विसंगति मिलने पर परीक्षा नियंत्रक को सूचित करें।

28. कृपया प्रश्नपत्रों के वितरण होने के बाद परिप्रेक्षकों के माध्यम से निश्चित कर लें कि सभी परीक्षार्थियों को सही प्रश्नपत्र प्राप्त हो गये हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है।

(ज) कक्ष परिप्रेक्षण कार्य

29. सभी कक्ष निरीक्षक परीक्षा प्रारम्भ होने वाले प्रथम दिन परीक्षा स्थल पर परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित हो जायेंगे, अन्य दिनों में 20 मिनट पूर्व पहुंचेंगे।
30. परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाय कि मुख्य पृष्ठ के अतिरिक्त कहीं भी अपना अनुक्रमांक तथा पहचान का कोई चिन्ह इत्यादि न अंकित करें।
31. केन्द्राध्यक्षों से अनुरोध है कि प्रत्येक कक्ष परिप्रेक्षक को प्रतिदिन प्रति पाली में स्मरण करा दिया करें कि प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नम्बर का मिलान उत्तर पुस्तिका पर अंकित रोल नम्बर से करके ही कक्ष परिप्रेक्षक अपने हस्ताक्षर करें। यह अत्यन्त आवश्यक बिन्दु है, क्योंकि कुछ परीक्षार्थी प्रायः रोल नम्बर अपनी उत्तर पुस्तिका पर गलत लिख जाते हैं और कक्ष परिप्रेक्षक बिना जॉच किये अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसमें परीक्षाफल घोषित किये जाने में छात्रों एवं विश्वविद्यालय को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परीक्षार्थी ने शुद्ध अनुक्रमांक लिखा है इसकी जॉच करके कक्ष परिप्रेक्षक प्रत्येक उत्तरपुस्तिका पर हस्ताक्षर करें। उसी समय परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कराकर कक्ष परिप्रेक्षक हस्ताक्षर करें ताकि किसी उत्तरपुस्तिका पर और तत्सम्बन्धित जॉच पत्र पर एक ही कक्ष परिप्रेक्षक के हस्ताक्षर रहें। कक्ष परिप्रेक्षक के हस्ताक्षर से रहित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
32. केन्द्राध्यक्ष से अनुरोध है कि इस तथ्य को बराबर देखते रहें कि परीक्षा के समय परिप्रेक्षकगण निरीक्षण सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य (जैसे समाचार पत्र का पढ़ना अथवा कार्यालय का पत्र व्यवहार आदि) न करें।
33. परीक्षार्थी द्वारा अनुक्रमांक निम्नलिखित के अनुसार लिखना है—उदाहरणार्थ यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 501100113563 (काल्पनिक) है तो अनुक्रमांक इस प्रकार लिखा जायेगा—

अंकों में	5	0	1	0	0	1	1	3	5	6	3
भाव्यों में	पॉच	भून्य	एक	भून्य	भून्य	एक	एक	तीन	पॉच	छ:	तीन

परीक्षार्थियों के जॉच पत्र, जो आपके केन्द्र से परीक्षा देगे 'लाग इन आई०डी०' में भेजे जा रहे हैं। कृपया उक्त जॉच पत्र परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर कराने तथा उनके छायाचित्र को मिलान की व्यवस्था करें। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कक्ष परिप्रेक्षक जिसके समुख हस्ताक्षर हुआ है, द्वारा सत्यापित होना अत्यन्त आवश्यक है। परिप्रेक्षकों को सतर्क रखें कि फोटो का मिलान करते समय विशेष सतर्कता बरतें, जिससे कि वह निश्चत हो कि सही व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थियों के जॉच पत्र व्यवस्थित कराकर विशेष वाहक द्वारा भेज दें। कृपया पैकेट के ऊपर जॉच पत्र अंकित कर दें।

34. परीक्षाकाल में घन्टे बजने का कार्यक्रम निम्नलिखित होगा—

(क) परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व कुछ मिनट तक अनवरत ध्वनि से संयुक्त घन्टा चलेगा। उस घन्टे को सुनकर कक्ष निरीक्षक परीक्षाकक्ष में पहुंचकर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों को देखेंगे तथा उन्हें उत्तरपुस्तिका देंगे।

(ख) परीक्षा प्रारम्भ के समय से 5 मिनट पूर्व एक घण्टा बजेगा जिसका अर्थ होगा अब प्रश्नपत्र बांट दिये जायें।

(ग) पहले घण्टे की समाप्ति पर दो घण्टे बजेंगे।

(घ) दूसरे घण्टे की समाप्ति पर तीन घण्टे बजेंगे।

- (ड.) तीसरे घण्टे की समाप्ति से 10 मिनट पूर्व एक घण्टा बजेगा, जिसको सुनकर परीक्षार्थी को सूचना देंगे कि अब केवल 10 मिनट अवशेष हैं। अतः परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर की हुई आपूर्तियों को जांच लें।
35. परिप्रेक्षक परीक्षार्थी द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं पर की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता की जॉच तत्परता से करें। साथ ही परीक्षार्थी का हस्ताक्षर निधारित प-7 पर पत्र पर उसी समय कराये जायें। यह कार्य परीक्षा के प्रथम घण्टे में ही होना चाहिए।
- (झ) उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन/पैकेट बनाना/हस्तान्तरण**
36. कक्ष परिप्रेक्षक से प्रयुक्त उत्तरपुस्तिका वापस लेते समय/उत्तरपुस्तिका के पैकेट बनाते समय सावधानी आवश्यक है, ताकि भिन्न विषयों/प्रश्नपत्रों की उत्तरपुस्तिका एक ही पैकेट में न जाने पायें व इस कार्य में विशेष तत्परता एवं सतर्कता बरतने का कष्ट करें अन्यथा उस परीक्षार्थी के परीक्षाफल के प्रकाशन में गम्भीर व्यवहान उपरिथित हो सकता है। प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्त होते ही उत्तरपुस्तिकाएं एकत्र करके रोल नम्बर के क्रमानुसार लगा ली जायें। स्नातक कक्षाओं में अधिक से अधिक 350 उत्तर पुस्तिकाओं और परास्तनातक कक्षाओं में अधिक से अधिक 250 उत्तरपुस्तिकाओं के पैकेट बनाये जायें। ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि इससे बड़ा पैकेट कदापि न बनाया जाय तथा जिस संकेतांक में एक से अधिक पैकेट बनाने पड़ते हैं, उसमें छोटे पैकेट में कम से कम 50 उत्तरपुस्तिकाएं अवश्य रहें। उदाहरण के लिए आपको 340 उत्तरपुस्तिकाओं को दो पैकेट में भेजना है तो 290 उत्तरपुस्तिका का एक बड़ा पैकेट और 50 उत्तरपुस्तिका का एक छोटा पैकेट बनाने का निर्देश देना चाहिए।
प्रत्येक प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को अलग पहले कागज में लपेट कर सुतली से बंधवा कर सील करायें। तत्पश्चात् नवीन मारकीन के कपड़े में सिलवाकर पुनः करायें। उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल में प्रश्नपत्र की दो प्रति तथा प्रपत्र प-6 मूल प्रति में तथा प-7 की छायाप्रति अवश्य रखें।
37. परीक्षा समाप्त होने के आधे घण्टे के अन्दर ही समस्त प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं को उस दिन उपरिथित चार वरिष्ठ कक्ष परिप्रेक्षकों की उपस्थिति में सीलबंद किया जाय। इस आशय के प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ तैयार की जाय कि **उत्तरपुस्तिकाओं को हम लोगों के सामने सीलबंद किया गया।** इसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा दूसरी प्रति सीलबंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक के पास परीक्षा के अन्त में भेज दिया जाय। प्रमाण पत्र पर केन्द्राध्यक्ष, समस्त सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं चार वरिष्ठ कक्ष परिप्रेक्षकों के हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित हों।
38. बैक पेपर/अंक सुधार की उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग न बनाया जाय, उसे मुख्य बण्डल के साथ ही भेजा जाय।
39. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर दो या अधिक महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उनकी उत्तरपुस्तिका के पैकेट प्रत्येक दशा में अलग-अलग बनाये जायेंगे। इस तथ्य को पैकेट पर आगे '/' का चिन्ह लगाकर अंक लिखकर सूचित किया जायेगा। उदाहरणार्थ तीन महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर संयुक्त है तो अलग-अलग पैकेट पर के0/1, के0/2, के0/3 लिखा जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय के अलग-अलग प-9 प्रपत्र का प्रयोग करें।
40. यूएफ०एम० और यू०सी०ओ० (अण्डर कोर्ट आर्डर) की उत्तरपुस्तिकाएं अलग पैकेट में सील की जायें एवं पैकेट पर तत्सम्बन्धी विवरण अंकित कर विश्वविद्यालय को वाहक द्वारा भेजवाया जाय।
41. पैकेट पर अधोलिखित प्रारूप के विवरण के अतिरिक्त कुछ न लिखा जाय। कोई संकेत, मुहर या चिन्ह न बनाया जाय।

यदि एक संकेतांक में एक ही पैकेट बना है तो उत्तरपुस्तिका संख्या के नीचे 'केवल एक' अंकित किया जाय। यदि एक संकेतांक में दो या अधिक पैकेट बनाये गये हैं। तो उत्तर पुस्तिका संख्या के नीचे रोमन अंकों में क्रमांक I, II, III आदि लिखा जाय।	परीक्षा विषय/प्रश्नपत्र दिनांक/सत्र संकेतांक केन्द्र कोड उ०पु० संख्या पैकेट क्रमांक	यदि पैकेट अनुचित साधन प्रयोग या न्यायालय आदेश का है तो ये शब्द उत्तर पुस्तिका संख्या के नीचे अंकित किया जाय।
---	---	--

(ट) परीक्षा केन्द्र पर अंतिम दिवस की परीक्षा समाप्त हो जाने पर—

42. परीक्षा समाप्त होने पर शेष उत्तरपुस्तिकाएँ, बचे हुए प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्रों के लिफाफे एवं अन्य प्रपत्र विश्वविद्यालय के अधिकृत वाहक द्वारा वापस किये जायें।
43. कन्टीजेन्ट व्यय का बिल प्रपत्र-5 पर सभी रसीदों के साथ परीक्षा समाप्त हो जाने पर भेजें। आपसे अनुरोध है कि इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक मद पर कम से कम व्यय हो। प्रत्येक व्यय का बाउचर संलग्न होना आवश्यक है उल्लिखित व्यय ₹0 8/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी और डाक एवं रेल तथा पारिश्रमिक भुगतान वास्तविक व्यय से होगा। इसके प्रमाणक देयक के सथा संलग्न करना अनिवार्य है।
44. परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजें, जिससे इसे परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।
45. यदि आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में आपको विगत वर्षों की उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग करना ही पड़े तो अनुक्रमांक के 10 खानों में बाएँ तरफ तीन खाना बढ़ायें तथा क्रमांक 34 के अनुसार अनुक्रमांक लिखने का निर्देश छात्रा को दें।
 - (अ) स्नातक भाग—एक, दो एवं तीन की राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवधिकार की परीक्षा बहुविकल्पी होगी। प्रश्नों के उत्तर ओ०ए०आर० प्रपत्रों पर देना होगा। ओ०ए०आर० प्रपत्र भरने हेतु समस्त निर्देश प्रश्नपुस्तिका एवं ओ०ए०आर० (OMR) प्रपत्र पर दिये हुए हैं। ऐसे सभी ओ०ए०आर० (OMR) उक्त पत्र अनुक्रमांक के कम में लगाकर कक्षावार अलग—अलग बाण्डलों में भेजे जाय।
 - (ब) राष्ट्रगौरव की प्रश्नपुस्तिका परीक्षा के उपरान्त विद्यार्थियों को दी जाय तथा ओ०ए०आर० को अनुक्रमांक के कम में लगाकर अलग—अलग कक्षावार भेजा जाय।
46. प्रयुक्त ओ०ए०आर० (OMR) कवरयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं लगे वारकोड पर न ही कुछ लिखा जाय और न ही उसको मोड़ा जाय।
47. सभी कक्ष निरीक्षकों को निर्देशित कर सुनिश्चित कर लें, कि परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त कोई भी परीक्षार्थी 2.30 घंटे से पूर्व परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा। परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त 2.30 घंटे बाद परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति जिन परीक्षार्थियों को दी जाये उन्हें अनुमति देने से पूर्व प्रश्न पत्र जमा करा लिया जायें तथा उस पर सम्बन्धित परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकित कर लिया जाय।
48. प्रातः पाली में 7.45 बजे तक एवं सायं पाली में 2.15 बजे तक प्रत्येक दशा में परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा यह जॉच लिया जाय कि विश्वविद्यालय से सभी प्रश्नपत्र प्राप्त हो गये हैं यदि नहीं तो उसकी सूचना तत्काल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
49. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में प्रबन्ध तन्त्र का कोई सदस्य परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति नहीं हों, इसे भी सुनिश्चित कर लिया जाये।
50. अतः मुझसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि आपके परीक्षा केन्द्र से जो महाविद्यालय सम्बद्ध वहाँ के सम्मानित शिक्षकों को परीक्षा केन्द्र पर कक्ष निरीक्षण कार्यों हेतु योजित नहीं करें।


(एस० के० शुक्ल)

परीक्षा नियंत्रक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. अधीक्षक, परीक्षा संचालन (प्रातः एवं सायं पाली—2015)।
4. कार्यालय अधीक्षक परीक्षा/प्रभारी, गोपनीय।
5. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।


(एस० के० शुक्ल)

परीक्षा नियंत्रक।